

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 22A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

दुली मुण्डाईन .....आवेदक/ विक्रेता

बनाम

1. रंजन हेम्ब्रम 2. कृष्णा हेम्ब्रम.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

06-02-2020

विक्रेता :- दुली मुण्डाईन पति स्व० सुरेन्द्र मुण्डा, ग्राम-छोटा सेगाई, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-मुण्डा।

क्रेता :- 1. रंजन हेम्ब्रम 2. कृष्णा हेम्ब्रम पिता स्व० रासिका हेम्ब्रम, ग्राम-छोटासेगाई, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-मुण्डा।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.09.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता 1. रंजन हेम्ब्रम 2. कृष्णा हेम्ब्रम पिता स्व० रासिका हेम्ब्रम, ग्राम-छोटासेगाई, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बड़ासेगाई	कुचाई/1	202	1652	0.24एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, कुचाई से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, कुचाई का पत्रांक 04 दिनांक 02.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के ससुर एवं अन्य के नाम से खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पति एवं ससुर के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-8.67 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहते हैं।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'मुण्डा' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।



लगातार.....2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, कुचाई ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, कुचाई के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता दुली मुण्डाईन पति स्व० सुरेन्द्र मुण्डा, ग्राम-छोटा सेगाई, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता 1. रंजन हेम्ब्रम 2. कृष्णा हेम्ब्रम पिता स्व० रासिका हेम्ब्रम, ग्राम-छोटासेगाई, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.24एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

  
06/10/2020  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।